69

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
51/2018/प्रा.पत्र/2018	21.08.2018	09.08.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री जगदीश प्रसाद विजय पुत्र धनश्याम विजय एफ.बी.ओ.मैसर्स कृष्णा बिहारी एण्ड कम्पनी रणछोड मन्दिर के सामने पीपलू जिला टोंक राज0 निवासी राणोली रोड पीपलू जिला टोंक राज0
2– मैसर्स कृष्णा बिहारी एण्ड कम्पनी रणछोड मन्दिर के सामने पीपलू जिला टोंक राज0
3–श्री पारस चन्द जैन पुत्र घांसी जैन प्रोपरायटर/एफ.बी.ओ. मैसर्स अभिषेक एजेन्सीज नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक राज0
4–मैसर्स अभिषेक एजेन्सीज नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक राज0
5–श्री महेश गर्ग प्रोपरायटर मैसर्स कृष्णा मार्केटिंग सी–20 मेटल कॉलोनी अम्बाबाडी जयपुर राज0
6– मैसर्स कृष्णा मार्केटिंग सी–20 मेटल कॉलोनी अम्बाबाडी जयपुर राज0
7–श्री हनुमान सिंह वाधाजी अंडोनी प्रोपरायटर मैसर्स तुलसी मसाला प्रोडक्ट 316 जी.जाई.डी.सी. इस्टेट–2 देदियासन मेहसाना गुजरात
8– मैसर्स तुलसी मसाला प्रोडक्ट 316 जी.जाई.डी.सी. इस्टेट–2 देदियासन मेहसाना गुजरात

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 09.08.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.02.2018 को समय 10.38 ए..एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स कृष्णा बिहारी एण्ड कम्पनी रणछोड मन्दिर के सामने पीपलू जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. की हैसियत से श्री जगदीश प्रसाद विजय पुत्र धनश्याम विजय एफ.बी.ओ.मैसर्स कृष्णा बिहारी एण्ड कम्पनी रणछोड मन्दिर के सामने पीपलू जिला टोंक राज0 निवासी राणोली रोड पीपलू जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान मे **मिर्च पावडर तुलसी एगमार्क ब्राण्ड(Chillies Powder Tulsi Agmark Brand)** जिसके बैच नं. 09 व पैकिंग दिनांक 03.12.2017 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री जगदीश प्रसाद विजय को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता जगदीश प्रसाद विजय एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(70)

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 500—500 ग्राम के 8 सील्ड पैक नग पैक्ड अवस्था मे **मिर्च पावडर तुलसी एगमार्क ब्राण्ड(Chillies Powder Tulsi Agmark Brand)** मे से 500—500 ग्राम के 4 सील्ड पैक नग पैक्ड अवस्था को ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड मूल पैक वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री जगदीश प्रसाद विजय को रू0 220/—अक्षरे दो सो बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मिर्च पावडर तुलसी एगमार्क ब्राण्ड(Chillies Powder Tulsi Agmark Brand)** 500—500 ग्राम के 4 सील्ड पैक नग पैक्ड अवस्था को बराबरा चार भाग तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I—1829 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग—अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I—1829 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. जगदीश प्रसाद विजय के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री जगदीश प्रसाद विजय ने मौके पर **मिर्च पावडर तुलसी एगमार्क ब्राण्ड(Chillies Powder Tulsi Agmark Brand)** बतोर वारन्टी मैसर्स अभिषेक एजेन्सीज नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक राज0का बिल क्रमांक/ इन्वॉइस नं. 177 दिनांक 02.02.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स अभिषेक एजेन्सीज नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक राज0 ने मैसर्स कृष्णा मार्केटिंग सी—20 मेटल कॉलोनी अम्बाबाडी जयपुर राज0 का बिल क्रमांक/ इन्वॉइस नं. 111 दिनांक 09.01.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स कृष्णा मार्केटिंग सी—20 मेटल कॉलोनी अम्बाबाडी जयपुर राज0 ने मैसर्स तुलसी मसाला प्रोडक्ट 316 जी.जाई.डी.सी. इस्टेट—2 देदियासन मेहसाना गुजरात का बिल क्रमांक/ इन्वॉइस नं. 627 दिनांक 25.12.2017 की छायाप्रति प्रति पेश की

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/826 दिनांक 23.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/60/एक्ट/2018/66 दिनांक 05.03.2018 अनुसार जगदीश प्रसाद विजय से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **मिर्च पावडर तुलसी एगमार्क ब्राण्ड(Chillies Powder Tulsi Agmark Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **मिर्च पावडर तुलसी एगमार्क ब्राण्ड(Chillies Powder Tulsi Agmark Brand)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **मिर्च पावडर तुलसी एगमार्क ब्राण्ड(Chillies Powder Tulsi Agmark Brand)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

902

अतिरिक्त जिला ...

Scanned by CamScanner

(71)

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिर्च पावडर तुलसी एगमार्क ब्राण्ड(Chillies Powder Tulsi Agmark Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 अप्रार्थी श्री जगदीश प्रसाद विजय पुत्र धनश्याम विजय एफ.बी.ओ.मैसर्स कृष्णा बिहारी एण्ड कम्पनी रणछोड मन्दिर के सामने पीपलू जिला टोंक राज0 निवासी राणोली रोड पीपलू जिला टोंक राज0 पर शास्ती 2,000/– (अक्षरे दो हजार रू0) अप्रार्थी श्री पारस चन्द जैन पुत्र घांसी जैन प्रोपरायटर/एफ. बी.ओ. मैसर्स अभिषेक एजेन्सीज नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक राज0पर शास्ति 2,000 (अक्षरे दो हजार रू0) अप्रार्थी श्री महेश गर्ग प्रोपरायटर मैसर्स कृष्णा मार्केटिंग सी–20 मेटल कॉलोनी अम्बाबाडी जयपुर राज0 पर शास्ति 2,000 (अक्षरे दो हजार रू0) अप्रार्थी श्री हनुमान सिंह वाधाजी अंडोनी प्रोपरायटर मैसर्स तुलसी मसाला प्रोडक्ट 316 जी.जाई.डी.सी. इस्टेट–2 देदियासन मेहसाना गुजरात पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पांच हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 09.08.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner